

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 149/2019

निर्णय दिनांक १७-८-१९

उनवान

1. उगन्ता देवी पत्नी बद्रीनारायण चौधरी जाति जाट निवासी मकान संख्या 86/40, प्रताप नगर जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू।
2. फातमा बेगम पत्नी कमरुद्दीन कुरैशी जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 4 कस्बा चाकसू जिला जयपुर।
3. हज्जन जरिना पत्नी हाजी मोहम्मद हनीफ मिर्जा जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 13 कस्बा चाकसू जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाने

प्रार्थीगण ग्राम रामपुरा बुर्जग तहसील चाकसू में खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खसरा नम्बर 733/1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 है0 वाके ग्रम रामपुरा बुर्जग तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी ने उक्त खातेदार भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.09.2018 को करवाने के पश्चात गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है, प्रार्थी वकील को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।




उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 733/1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 है0 वाके ग्रम रामपुरा बुर्जुग तहसील चाकसू जिला जयपुर की भूमि पत्थरगढी प्रार्थी व अप्रार्थीगण एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)


उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू